न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 32/2021, जिला दौसा

1. मांगीराम पुत्र श्री रामपाल, जाति बैरवा निवासी ढाणी टिटोली (बडागांव) तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रेवड पुत्र श्रवण बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील राहुवास जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.02.2021 न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा प्रकरण संख्या 03/2019 प्रकरण उनवानी रेवड बनाम मांगीलाल जो रिमाण्ड नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 ग्राम बडागांव के संबंध में धारा 135(2) रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत किया गया है।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री विनोद कुमार विजय
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —07.6.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के मु.नं. 41/2015 उनवानी छोटा बनाम मांगीलाल निर्णय दिनांक 08.05.2017 द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 479 वाके ग्राम बडागांव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा निर्णित 05.11.2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर प्रतिप्रेषित किया गया गया कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर वारिसान व दस्तावेजात की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने भिजवा दिया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 22.02.2021 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 को निरस्त कर उक्त भूमि रेवडमल पुत्र छोटा देवी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट मांगीलाल द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार विजय, उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के उनवान रेवड बनाम मांगीलाल नामान्तरकरण अपील संख्या 479/2005 निर्णय दिनांक 8.5.2017 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 5.11.2005 को निरस्त फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान को पत्रावली रिमाण्ड की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण 135(2) में दर्ज कर नोटिस जारी किये। अपीलांट व रेस्पों. संख्या 1 स्वंय ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये तथा रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अपने नामान्तरकरण के समर्थन में ग्राम पंचायत बडागांव के कार्यवाही रजिस्टर, वसीयतनामा, हकत्याग पत्र आदि की प्रतियां पेश की जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जेर अपील आदेश पारित कर ग्राम बडागांव के नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 5.11.2005 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि रेवडमल पुत्र छोटा देवी के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये। मृतका छोटा देवी पुत्री शंकर की मृत्यु दिनांक 17.08.2012 को हुई है तथा छोटा देवी के पिता शंकर की मृत्यु दिनांक 5.2.99 को हुई है। छोटा देवी के पिता शंकर पुत्र सोहनलाल जाति बैरवा निवासी बडागांव द्वारा अपीलांट के हक में ग्राम बडागांव में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2335, 2336, 2337, 2673, 2674 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 11.3.99 को कराई तथा उक्त समस्त कृषि भूमि का मालिक शंकरलाल को बनाया। तत्पश्चात शंकरलाल की मृत्यु के उपरान्त शंकरलाल की एक जायन्दा पुत्री छोटा देवी जीवित थी। शंकरलाल पुत्र सोहनलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 5.11.2005 में शंकरया पुत्र सोन्या की जगह 31/130 हिस्सा छोटा देवी और 99/130 हिस्सा अपीलांट के हक में नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत की मिटिंग में प्रस्ताव संख्या 5 के द्वारा मजमेआम में फैसला कर छोटा देवी की सहमति से खोला गया जिसका प्रमाण यह भी है कि छोटा देवी द्वारा दिनांक 22.10.2005 को अपीलांट के हक में उक्त वसीयत में वर्णित भूमि का हकत्याग भी कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत बडागांव की पंचायत कार्यवाही में सचिव, सरपंच एवं अन्य वार्ड पंच तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति मं उक्त निर्णय पारित किया है उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलांट के हक में नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 5.11.2005 सही एवं कानूनी रूप से तस्दीक किया गया है इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 5.11.2005 योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया गया है। वाके ग्राम बडागाव में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2335, 2336, 2337, 2673, 2674 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 जो जमाबन्दी में छोटा पुत्र शंकर हिस्सा 31/130 तथा अपीलांट मांगीलाल पुत्र रामपाल जाति बैरवा हिस्सा 99/130 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि साबिक रिकॉर्ड अनुसार शंकरया पुत्र सोहनलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की स्वअर्जित भूमि थी। उक्त भूमि स्वअर्जित होने के कारण शंकरया पुत्र सोहनलाल द्वारा अपीलांट के हक में उक्त वसीयतनामा दिनांक 11.3.1991 अपीलांट की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर शंकरया पुत्र सोहनलाल द्वारा अपीलांट के हक में तस्दीक करवाई गई थी। विवादित भूमि पर शंकरया उर्फ शंकरलाल के जीवनकाल से ही अपीलांट का कब्जा काश्त है जो आज दिन तक अनवरत चला रहा है तथा भूमि को उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। किन्तु

Scanned by CamScanner

योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे व मौके की जांच किये तथा बिना कोई रिपोर्ट तलब किये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि पूर्व में शंकर पुत्र सोन्या के नाम दर्ज रिकार्ड थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना स्व. शंकर पुत्र सोन्या क फौत होने के बाद उसके स्थान पर छोटा पुत्री शंकर 31/130 मांगीलाल पुत्र रामपाल 99/130 का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना शंकर के एक मात्र वारिस उसकी मॉ स्व. छोटा देवी थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना स्व. शंकरलाल ने उनके जीवन काल में कभी भी मांगीलाल के नाम कोई वसीयत वगै. नहीं की है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना के फौत होने के बाद ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट की मां को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी रजिस्ट्रेट दस्तावेज के नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 को निर्णय कर दिया जिसमें रेस्पोडेन्ट नं.1 की मां छोटा देवी के साथ मांगीलाल पुत्र रामपाल हि. 99/130 दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण था। उक्त नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 को निरस्त करने व रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना स्व. शंकरलाल के नाम की उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट की मॉ के फौत होने पर उनका एक मात्र वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज करने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या सनं. 1 के नाना की वुढापे में सेवा चाकरी उसकी मां व उसके सगे मामा चेतराम बैरवा ने की है बाद में रेस्पोडेन्ट नं. 1 के मामा चेतराम लाऔलाद अविवाहित फौत हो गये, जिससे रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाना का एकमात्र वारिस रेवडमल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ही बचता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि ग्राम बडागांव के नामान्तकरण संख्या 479/05.11.2005 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय एक अपंजीकृत वसीयत के आधार किया गया एवं उक्त भूमि पैतृक भूमि है अतः स्व. अर्जित भूमि नहीं होने से वसीयत मान्य नहीं है व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पैतृक भूमि की होने से अमान्य है एवं अप्रार्थी द्वारा वसीयतनामें की वैधता एवं प्रमाणिकता स्वरूप कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हकत्याग की छायाप्रति भी अपंजीकृत हकत्याग होने से मान्य नहीं है अतः ग्राम बडागांव के नामान्तकरण संख्या 479 को निरस्त कर इस भूमि में शंकर पुत्र सोन्या के वारिस जिसमें रेवडमल पुत्र छोटा देवी का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत माना है। ग्राम बडागांव के नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 निरस्त किया गया है तथा उक्त भूमि रेवडमल पुत्र छोटोदेवी के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार शंकर पुत्र सोन्या की मृत्यु होने पर विरासत के नामांतरकरण का है। शंकर पुत्र सोन्या के फौत होने पर ग्राम पंचायत बडागॉव द्वारा विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 479 दिनांक 05.11.2005 को निर्णय कर दिया गया। ग्राम पंचायत बडागॉव के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 479 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 08.05.2017 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 479 ग्राम बडागांव द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.11.2005 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण शंकर पुत्र सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के उक्त निर्णय की अनुपालना में मृतक खातेदार शंकर पुत्र सोन्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 479/05.11.2005 को निरस्त कर उक्त भूमि रेवडमल पुत्र छोटा देवी के नाम दर्ज करने आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 22.02.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner